



Phone(Off): 04994 - 232893
04994 - 232894
04994 - 232895
04994 - 232090
Fax : 04994 - 232322

Email : director.cpcr@icar.gov.in
: directorcpcr@gmail.com
: cpcr@gov.in
: cpcr@nic.in
Website: http://www.cpcr.gov.in

फ सं 7(22)/96-2021 रा. भा बैठक

दिनांक 04.10.2021

परिपत्र CIRCULAR

राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन एवं इस संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निर्णयानुसार भारत सरकार द्वारा मानक घोषित की गई यूनिकोड एनकोडिंग इस संस्थान के सभी कंप्यूटरों में , जो यूनिकोड एनकोडिंग सुविधायुक्त हैं (विन्डा 2000, विन्डो एक्सपी, विन्डो विस्ता , आदि में) ,मुख्य तकनीकी अधिकारी ,एरिस सेल के मार्गदर्शन में सक्रिय किया गया था ।

जबकि यह देखा गया है कि कंप्यूटर के मरम्मत /फॉर्मेट करते समय हिंदी निकाला जाता है और दुबारा अपलोड नहीं किया जाता है और राजभाषा नियम 1976 का नियम 11 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः अनुरोध है कि जिनके कंप्यूटरों में हिंदी फोन्ट्स(यूनिकोड) सक्रिय नहीं है कृपया मुख्य तकनीकी अधिकारी, कृषि ज्ञान प्रबंधन एकक की सहायता से यूनिकोड सक्रिय बनाया जाए और नियम का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

As per the Office memorandum of Dept. of Official Language and the decision of the Official Language committee of this institute Unicode encoding facility was provided in all computers(Window 2000, Window XP and Window Vista etc). whereas it is seen that during the computer repair and formatting Hindi fonts are removed and not being uploaded again and the Official Language Rule 1976 rule 11 is not being complied . So it is requested to get activated the Unicode in the computers with the help of Sr.Technical Officer ,AKMU so as to comply the OL rule.


निदेशक Director

परिचालन

1. निजी सचिव(निदेशक), के रो फ अ सं, कासरगोड
2. परियोजना समन्वयक / प्रमुख ,फसल सुधार/फसल उत्पादन/फसल संरक्षण/सामाजिक विज्ञान/पादप शरीरक्रिया विज्ञान
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी /प्रशासनिक अधिकारी /सचिव , राजभाषा कार्यान्वयन समिति

वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी/सहायक प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना/एस्टेट/बिल/भंडार / वैज्ञानिक प्रभारी, पी एम ई/
पुस्तकालयाध्यक्ष /कृषि विज्ञान केंद्र /फार्म /नोटिस बोर्ड

1. वित्त एवं लेखा अधिकारी
2. प्रमुख, प्रादेशिक केंद्र, कायमकुलम/विट्टल
3. अनुसंधान केंद्र, काहिकुची/ किडु/ मोहितनगर -

अनुरोध है कि उपर्युक्त परिपत्र के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें और की गई कार्रवाई मुख्यालय को सूचित करें